Registered No. E.P.-97

रजिस्टर्ड नं० ई० पी०-९७

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बीरवार, 31 मार्च, 1955

विधान सभा विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-4, 31 मार्च, 1955

सं० वी० एस० 109-123/54. – गवर्नमेंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स एक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 29 मार्च, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

– अधिनियम नं० 4, 1955

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1955

31 मार्च, 1955 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय राशियां चुकाने और उन का विनियोग करने के हेतु

अधिनियम

यह निम्नलिखित रूप में विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाया:—

1. संक्षिप्त नाम.—यह अधिनियम 1955 का हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (नं० 4) कहलाएगा ।

2. वर्ष 1954-55 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 25,64,900 रुपये निकाला जाना.—31 मार्च, 1955 को अन्त होने वाले वर्ष, किये गये कतिपय व्ययों को पूरा करने के हेतु उन को चुकाने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के संचित धन में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में विशिष्ट राशियां चुकाई जाएं, जो उस स्तम्भ में विशिष्ट राशियों, जिन का जोड़ पच्चीस लाख, चौसट हज़ार और नौ सौ रुपये है उस से अधिक नहीं होंगी ।

3. विनियोग.—हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से जिन राशियों को इस अधिनियम के द्वारा चुकाने और प्रयुक्त करन के लिए अधिकृत किया गया है, उन राशियों का विनियोग, 31 मार्च, 1955 को अन्त होने वाले वर्ष के विषय में अनुसूची में प्रदर्शित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान की संख्या	स्वीकृत संख्या	सेवाएं तथा प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		योग
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	2	3	4		5
2	1	राज्य आबकारी	70,000	—	70,000
5	2	रजिस्ट्रेशन	200	—	200
8	3	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	30,900	11,300	42,200
9	4	न्याय प्रशासन	35,900	—	35,900
11	5	पुलिस	100	—	100
13	6	शिक्षा	300	—	300
14	7	चिकित्सा	100	—	100
15	8	जन स्वास्थ्य	45,700	—	45,700
16	9	कृषि	1,000	—	1,000

1	2	3	4		5
21	10	अन्य सिविल वर्कस	6,36,000	—	6,36,000
24	11	भारतीय राजाओं के सम्बन्धियों को भत्ते	23,000	—	23,000
25	12	सुपरैनुएशन अलाउन्स व पैनशन	29,000	—	29,000
27	13	विविध	1,30,400	—	1,30,400
28	14	व्यय रोड ट्रांस्पोर्ट अथवा जल सम्बन्धी स्कीम	10,22,000	—	10,22,000
35	15	आगम लेखे से बाहिर सिंचाई कर्म का पूंजी लेखा	40,000	—	40,000
38	16	इंडस्ट्री का पूंजी लेखा	3,08,000	—	3,08,000
39	17	बिजली सम्बन्धी पूंजी लेखा	1,81,000	—	1,81,000
		जोड़	25,53,600	11,300	25,64,900

शिमला-4, 31 मार्च, 1955

सं० वी० एस० 70/55.—गवर्नमैंट आफ पार्ट "सी" स्टेट्स एक्ट, 1951 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति महोदय ने दिनांक 29 मार्च, 1955 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित किए गए निम्नलिखित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान कर दी है और उसे सर्व साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अधिनियम न० 5, 1955

हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1955

31 मार्च, 1956 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय राशियां चुकाने और उन का विनियोग करने के हेतु

अधिनियम

यह निम्नलिखित रूप में विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाए : —

1. संक्षिप्त नाम.—यह अधिनियम 1955 का "हिमाचल प्रदेश विनियोग अधिनियम (न० 5)" कहलाएगा।

2. वर्ष 1955-56 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से 5,77,70,000 रुपये निकाला जाना.—31 मार्च, 1956 को अन्त होने वाले वर्ष, की सेवाओं के व्ययों को पूरा करने के हेतु उन को चुकाने के लिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के सञ्चित धन में से अनुसूची के तीसरे स्तम्भ में विशिष्ट राशियां चुकाई जाएं, जो उस स्तम्भ में विशिष्ट राशियों, जिन का जोड़ 5,77,70,000 रुपये है उस से अधिक नहीं होंगी ।

3. विनियोग.—हिमाचल प्रदेश राज्य की सञ्चित निधि में से जिन राशियों को इस अधिनियम के द्वारा चुकाने और प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, उन राशियों का विनियोग, 31 मार्च, 1956 को अन्त होने वाले वर्ष के विषय में अनुसूची में प्रदर्शित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए किया जायेगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान की संख्या	सेवाएं तथा प्रयोजन	निम्नलिखित राशियों से अनधिक		योग
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	
1	2	3		4
1	मालगुजारी	10,98,000	—	10,98,000
2	राज्य आबकारी	1,72,000	—	1,72,000
3	स्टाम्प	10,000	—	10,000
4	वन	35,55,000	—	35,55,000
5	रजिस्ट्री	1,000	—	1,000
6	मोटर गाड़ियों के ऐक्टों के कारण व्यय	7,000	—	7,000
7	अन्य कर और शुल्क के कारण व्यय	1,000	—	1,000
8	राजस्व से होने वाले अन्य व्यय जो साधारण राजस्व से किए जाते हैं	3,59,000	—	3,59,000
	ऋण तथा अन्य दायित्व पर ब्याज	—	1,000	1,000
9	सामान्य प्रशासन के कारण व्यय	29,51,600	1,39,400	30,91,000
10	न्याय प्रशासन	4,26,900	35,100	4,62,000

1	2	3		4
11	कारागार तथा बन्दी बस्तियां	2,15,000	—	2,15,000
12	पुलिस	28,66,000	—	28,66,000
13	वैज्ञानिक विभाग	2,000	—	2,000
14	शिक्षा	48,52,000	—	48,52,000
15	चिकित्सा	22,21,000	—	22,21,000
16	सार्वजनिक स्वास्थ्य	13,33,000	—	13,33,000
17	कृषि	17,88,000	—	17,88,000
18	पशु चिकित्सा	5,90,000	—	5,90,000
19	सहकारिता	6,64,000	—	6,64,000
20	उद्योग तथा प्रदाय	20,98,000	—	20,98,000
21	विविध विभाग	1,06,000	—	1,06,000
22	नागरिक निर्माण कार्य	42,90,000	—	42,90,000
23	यातायात	19,32,000	—	19,32,000
24	साधारण राजस्व से वितयोषित विद्युत योजनाओं पर व्यय	1,52,000	—	1,52,000
25	भारतीय राजाओं के सम्बन्धियों को भत्ते	2,35,000	—	2,35,000
26	वृद्धावस्था के भत्ते तथा निवृति वेतन	43,000	—	43,000
27	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	3,83,000	—	3,83,000
28	विविध	10,83,000	—	10,83,000
29	बिजली योजना सम्बन्धी व्यय	1,60,000	—	1,60,000
30	बस वा जल की सेवाओं पर व्यय	32,29,000	1,34,000	33,63,000
31	सामूहिक विकास योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास क्षेत्र	43,33,000	—	43,33,000

1	2	3		4
32	राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई कार्यों पर पूंजी व्यय	48,41,000	—	48,41,000
33	कृषि सुधार एवं खोज की योजनाओं पर पूंजी लागत	2,22,000	—	2,22,000
34	राजस्व लेखे के बाहर नागरिक कार्यों पर पूंजी लागत	57,61,000	—	57,61,000
35	विद्युत योजनाओं पर पूंजी व्यय	6,85,000	—	6,85,000
36	पथ परिवहन योजनाओं पर पूंजी व्यय	8,85,000	—	8,85,000
37	राजकीय व्यापार की योजनाओं पर पूंजी व्यय	25,28,000	—	25,28,000
	कर्जे की वापसी पर व्यय	—	20,000	20,000
38	ऋण तथा अग्रिम धन जिन पर ब्याज लगता है	13,62,000	—	13,62,000
	योग	5,74,40,500	3,29,500	5,77,70,000

चेत राम,
सचिव।

Printed and Published in India by the Manager, H. P. Govt. Press, Simla-3.